परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ

अतिआवश्यक

पत्रांक :423रो/2020–08 रो/विधायक/मेरठ/अनु.बस/16 दिनांक: 03 फरवरी, 2020

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक,
समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो),
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

विषयः निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रयास के अन्तर्गत बसों में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित करने के सम्बन्ध में।

ज्ञातव्य है कि निगम मुख्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 604रो/08रो/विधायक/मेरठ/अनु. बस/16 दिनांक 28–2–2017 एवं परिपत्र संख्या 870रो/08रो/विधायक/मेरठ/अनु.बस/16 दिनांक 31–3–2017 द्वारा परिवहन निगम की हाई–एण्ड (वॉल्वो/स्कैनिया), मिड सेगमेण्ट एवं जनरथ वातानुकूलित बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान बोतल बन्द पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे।

निगम की समस्त वातानुकूलित बसों में यात्रियों को यात्रा के दौरान बोतल बन्द पेयजल उपलब्ध कराने के फलस्वरुप बड़ी संख्या में प्लास्टिक की बोतलें एकत्र हो जाती हैं, जिनका निष्प्रयोजन एक कठिन समस्या है। निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रयास के अन्तर्गत बसों में प्लास्टिक के उपयोग को सीमित किया जाना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि परिवहन निगम के यात्रियों की सुविधा के लिये बस स्टेशनों पर शुद्ध पेयजल हेतु वॉटर एटीएम स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न प्रमुख बस स्टेशनों पर 19 वॉटर एटीएम कार्यरत हैं तथा यात्रियों को परिवहन निगम द्वारा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की प्राथमिकता के दृष्टिगत शुद्ध पेयजल हेतु दिनांक 31.03.2020 तक अतिरिक्त 100 वॉटर एटीएम की व्यवस्था प्रारम्भ हो जायेगी।

उपरोक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त समस्त वातानुकूलित बसों में यात्रियों को उपलब्ध करायी जाने वाली बोतल बन्द पेयजल की व्यवस्था को दिनांक 16.03.2020 से एतद्द्वारा समाप्त किया जाता है।

परिवहन निगम की वातानुकूलित बसों में यात्रियों को यात्रा के समय उपलब्ध कराये जा रहे बोतल बन्द पेयजल की व्यवस्था समाप्त होने के फलस्वरुप समस्त श्रेणी की वातानुकूलित बसों के किराये में 01 पैसा प्रति सीट प्रति कि.मी. में कमी की जाती है। किराये में कमी के उपरान्त वातानुकूलित बसों का श्रेणीवार किराया निम्नवत होगा, जो दिनांक 15/16.03.2020 की मध्य रात्रि से लागू होगा :–

क्र.सं.	श्रेणी	वर्तमान किराया दरें (पैसे प्रति यात्री प्रति कि.मी.)	नवीन किराया दरें (पैसे प्रति यात्री प्रति कि.मी.)
1	जनरथ 3X2	133.35	132.35
2	जनरथ 2X2	157.50	156.50
3	स्लीपर	210.01	209.01
4	हाईएण्ड (वॉल्वो/स्कैनिया)	232.11	231.11

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(डा॰ राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. वित्त नियन्त्रक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशा./प्रावि.), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. समस्त नोडल अधिकारी, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. प्रोजेक्ट हैड, मै. ट्राईमैक्स, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 15/16.03.2020 की मध्य रात्रि से उपरोक्तानुसार किराया संशोधन सुनिश्चित करें।

(डा॰ राज शेखर)
प्रबन्ध निदेशक